न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(रॉची)

वाद संख्या– एम० 230/2016

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

सोनी देवी वगै० .....प्रथम पक्ष

बनाम

प्रदीप कुम्हार वगै० .....द्वितीय पक्ष

	आदेश	
24-07-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या–52/16, दिनांक–22/12/2016 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई, दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद उभय पक्षों जमीन के सीमांकन लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही– गवाह संख्या–01, शिवशंकर कुम्हार – ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन पहले हमलोगों का था इसे हमलोग राम मुंशी को बेचे थे। प्रथम पक्ष के लोग राम मुंशी से उक्त जमीन को खरीदा है, उभय पक्ष का जमीन एक ही जगह सटा हुआ है। केस होने के बाद भी उभय पक्ष में झगड़ा हुआ था। इसकी तारीख याद नहीं है। गवाह संख्या–02, विजय कुम्हार – ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन विवाद को लेकर केस किया हूँ। विवादित जमीन मौजा–बुण्डू, खाता सं०–558, प्लॉट सं०–801 इसमें 9 डिसमील जमीन को लेकर केस किया हूँ। उक्त जमीन मेरा खरीदगी जमीन है, जमीन खरीदने के बाद सरकारी अमीन से नापी कराए हैं, नापी जमीन के अन्दर द्वितीय पक्ष मकान बना रहे है, मना करने पर द्वितीय पक्ष गाली–गलौज एवं शराब पीकर धमकी देते हैं।केस चलने के बाद से उभय पक्ष में झगड़ा नहीं हुआ है। गाली–गलौज द्वितीय पक्ष करता है। उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना अभी नहीं हैं। द्वितीय पक्ष गवाही– गवाह सं०–01, राधा बालो कुम्हार– ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि उभय पक्ष में किसी तरह का विवाद नहीं है, प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष मेरे जमीन पर घर बनाया है, जो सरासर गलत है। सभी अपने दखल–कब्जा में है, प्रदीप कुम्हार और मेरा घर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। मैं दूर में रहता हूँ इसलिए उभय पक्ष के बीच में क्या हो रहा है उसे देख नहीं पाता हूँ। गवाह सं०–02, प्रदीप कुम्हार– ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष से हमलोगों का झगड़ा झमेला नहीं हुआ है। खाता सं०–558 के जमीन से मेरा कोई लेना–देना	

नहीं है ऐसी बात नहीं है 558 खाता के जमीन में घर बनाना चाह रहा था जिससे उभय पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ। केस होने के बाद 19 तारीख को हमलोग हल्ला गुल्ला नहीं किये हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने , पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयानों से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद है। जिसके संबंध में दोनों पक्ष अलग–अलग दावा कर रहे हैं जिसमें धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई संभव नहीं है, उभय पक्षों के बीच हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है तथा उभय पक्ष वाद की कार्रवाई के दौरान वर्त्तमान में शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं कर पाए।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए अभिलेख की कार्रवाई बन्द किया जाता है। आहत पक्ष जमीन के सीमांकन हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू।

24/7/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू।